>

Title: Regarding maintenance and levying of toll tax on National Highway No. 8 between Delhi and Rajasthan Border.

राव इन्द्रजीत सिंह : चेयरमैन साहब, मैं राजमार्ग नं. 8 के विषय में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो दिल्ली-जयपुर-आगरा के गोल्डन ट्रायेंगल का अहम रास्ता है।

टूरिज्म के लिहाज से उसका एक अहम हिस्सा दिल्ली और जयपुर हाईवे वाले गुड़गांव जिले में, रिवाड़ी जिले में, अलवर जिले में होते हुए जयपुर तक जाता है। जो व्यक्ति राजस्थान का नजारा देखना चाहता है, जो व्यक्ति अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाना चाहता है, जो उदयपुर जाना चाहता हूं, जो मुम्बई जाना चाहता है, वह राजमार्ग नं. 8 से गुजरते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है।

समस्या यह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली से लेकर राजस्थान, जयपुर तक का जो बॉर्डर है, वहां का सौ किलोमीटर का नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है, उसके अंदर इतनी ज्यादा बाधाएं हो गयी हैं कि जो दूरी डेढ़ घंटे में तय की जा सकती थी, आज उस सौ किलोमीटर के फासले को तय करने में चार-चार घंटे लग जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मुख्य रूप से दो जगह पर टोल टैक्स बैरियर है। एक तो 24 किलोमीटर के ऊपर, नेशनल हाइवे नम्बर-8 गुड़गांव (DLI) Border पर है, जहां दिल्ली शुरू होती है, वहां पर 24 किलोमीटर के ऊपर एक टोल टैक्स बैरियर लगा दिया गया है और दूसरा टोल टैक्स बैरियर 42 किलोमीटर के ऊपर इसी राजमार्ग के ऊपर लगा दिया गया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं और इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा कि 18 किलोमीटर के अंदर-अंदर आपको दो बार टैक्स देना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा विचलित कौन हो रहे हैं, किसका गला घोटा जा रहा है, जो गुड़गांव शहर है, उसका गला घोटा जा रहा है। अगर कोई दिल्ली जाना चाहता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। अगर वह जयपुर जाना चाहता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है और दोनों जगह से वापस अपने घर को आना चाहता है तो भी उसे टैक्स देना पड़ता है।

मैं श्रीमान् जी आपको बताना चाहता हूं कि इन नेशनल हाइवेज अथॉरिटी की (नेशनल फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) रूल्स, 2000 के तहत साठ किलोमीटर के अंदर-अंदर दूसरा टोल टैक्स बैरियर नहीं होना चाहिए था, लेकिन गुड़गांव ही ऐसी मुर्गी है, जिसे आप हलाल करने में लगे हुए हैं। 18 किलोमीटर के अंदर दो बार इसे देना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी लिया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कारपोरेशन गुड़गांव में बन गयी है। कानून के मुताबिक जहां पर कारपोरेशन होती है, वहां दो बार टैक्स नहीं लिया जाता है, एक बार भी नहीं लिया जाता है, लेकिन दो बार लिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

अंत में, मैं समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो Frenchise को बीस साल की मियाद मिली थी, पचपन करोड़ टोटल इनवेस्टमेंट इस 18 किलोमीटर के ऊपर खर्च करने के बाद, वसूली करने के लिए बीस साल की जो इनको मियाद मिली थी, वह पूरी वसूली इनकी सात साल के अंदर हो गयी है। इन्होंने अगस्त, 2011 तक उस 55 करोड़ के खर्च के मुकाबले में 68 करोड़ रूपए आज के दिन तक वसूल कर लिए हैं और भारत सरकार को हिस्सा दिया भी नहीं है। ...(व्यवधान) चेयरमैन साहब, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए निर्देश दें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Okay. You made your point. Please sit down. Shri Laxman Tudu.